

आदेश

दिनांक

21/10/2020

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक श्रीमति सुर्यमनी गागराई, पिता/पति- स्व० दिनेश चन्द्र गागराई, ग्राम- हाटगम्हरिया, थाना- हाटगम्हरिया, जिला-पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा ने मौजा- हाटगम्हरिया, थाना नं०- 428, खाता नं०- 208, प्लॉट नं०-1544 कुल रकवा- 0.15 एकड़ भूमि क्रेता कालीचरण बोदरा, पिता/पति- श्याम सिंह बोदरा, ग्राम- हाटगम्हरिया, थाना- हाटगम्हरिया के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदिका के पति के नाम पर नामान्तरण मु० सं०- 39/2004-05 के द्वारा नामात्रित है। आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।

अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक- 217, दिनांक- 01.10.2020 के द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दास्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान निर्माण हेतु रुपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता- कालीचरण बोदरा, पिता/पति- श्याम सिंह बोदरा, ग्राम- हाटगम्हरिया, थाना- हाटगम्हरिया के पास बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना- हाटगम्हरिया के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है।

उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 5.00 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है।

अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदक श्रीमति सुर्यमनी गागराई, पिता/पति- स्व० दिनेश चन्द्र गागराई, ग्राम- हाटगम्हरिया, थाना- हाटगम्हरिया, जिला- पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा क्रेता कालीचरण बोदरा, पिता/पति- श्याम सिंह बोदरा, ग्राम- हाटगम्हरिया, थाना- हाटगम्हरिया के पास जमीन को कुल- 1,50,000.00/- (एक लाख पच्चास हजार) रुपये में मौजा- हाटगम्हरिया, थाना नं०- 428, खाता नं०- 208, प्लॉट नं०- 1544, कुल रकवा- 0.15 एकड़ जमीन बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है।

लेखापित



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा।



भूमि सुधार उपसमाहर्ता
सदर चाईबासा